

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर एवं आगरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या- 365/आपदा-2023 दिनांक 04.10.2023 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटित घटना से प्रभावित होने वाले (कुल 04 प्रकरण) स्व0 दिलखुश पुत्र मुस्तफा ग्राम दरगौली जनपद कुशीनगर, स्व0 लक्की पासवान पुत्र राजकुमार महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं01 टोला भैरवपुर तप्पा परगना हवेली तहसील सदर जनपद- गोरखपुर, स्व0 संदीप गौड़ पुत्र गंगा, ग्राम मिर्जापुर उर्फ बिलन्दपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर एवं स्व0 रविना साहनी पुत्री शिवकुमार साहनी ग्राम-सरारमझगांवा तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर की डूबने से हुई मृत्यु के उपरान्त उक्त आवेदिकों को रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल रू0 16.00 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने एवं जनपद आगरा के पत्र संख्या-246 /विविध लिपिक/जि0आ0प्र0प्रा0(2023-24) दिनांक 25.08.2023, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटित घटना से प्रभावित होने वाले (02 प्रकरण) स्व0 सुमित यादव पुत्र छोटेलाल यादव, निवासी मीरपुर पुठिया, तहसील-जसवन्त नगर, जनपद-इटावा की यमुना नदी में डूबने से हुई मृत्यु उपरान्त रू0 4.00 लाख एवं स्व रमजानी पुत्र सफी मौहम्मद, निवासी ग्राम पमारी, थाना पचोखरा, तहसील दूण्डला, जनपद- फिरोजाबाद हाल निवासी सबौरा, तहसील बाह, जनपद आगरा की चम्बल नदी में पैर फिसलने के कारण हुई मृत्योपरान्त रू0 04.00 लाख अर्थात् कुल रू0 08.00 लाख की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि मद सं0-09 से राहत सहायता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त दोनों जनपदों की जनहानि के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 24,00,000/- (रूपये चौबीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	
1	गोरखपुर	16.00
2	आगरा	08.00
	योग	24.00
(रू0 चौबीस लाख मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से

वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग की शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10 (28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1,(Vol-II) दिनांक 10.10.2022, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं, तथा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अन्त में जो जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशियों में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 24,00,000/- (रुपये चौबीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/वी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(राम केवल)

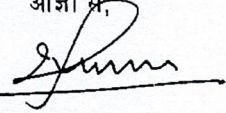
विशेष सचिव।

संख्या - 1533(3)/एक-10-2023-33(36)/2023 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा में,



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-19/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1533 2
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1533 2
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 18300000	800000 18300000
2	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 27306350	1600000 27306350
	योग	वर्तमान प्रगामी	2400000 45606350	2400000 45606350

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौबीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ छप्पन लाख छः हजार तीन सौ पचास

(जान्दवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन